

न्यायालय :-वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय – बैहर

S.C.No./4/2018
Filling No. S.C./4/2018
CNR-MP500500007-2017
संस्थित दिनांक-02.01.2018

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड
जिला-बालाघाट (म.प्र.) – – – – – अभियोजन ।

॥ विरुद्ध ॥

युवराज तुरकर पिता भिवराम तुरकर, उम्र 64 वर्ष
निवासी- करमतरा थाना मलाजखण्ड तहसील बिरसा
जिला-बालाघाट (म.प्र.) – – – – – अभियुक्त ।

=====

श्री अभिजीत बापट, ए.जी.पी. वास्ते अभियोजन ।
श्री मोईन कुरैशी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-युवराज तुरकर ।
=====

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 17 मई 2018 को घोषित)

1. अभियुक्त युवराज तुरकर के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 363, 366, 376(2)(आई) एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 17.08.2017 को दिन के 10:30 बजे अवयस्क अभियोक्त्री को (जिसका नाम रेसियो *Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684* तथा *Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.*) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) को उसके प्राकृतिक संरक्षक की सम्मति के बिना अयुक्त संभोग करने के आशय से फोर व्हीलर वाहन में बैठाकर ले जाया जाकर व्यपहरण कारित किया तथा उसके साथ बलात्संग एवं पेनिट्रेटिव सेक्सुएल एसाल्ट कारित किया ।

2. अभियोजन का मामला यह है कि घटना दिनांक 17.08.2017 को अभियोक्त्री कक्षा नवमी की छात्रा थी। उक्त दिनांक को स्कूल गई थी, जहां से आरोपी ने अभियोक्त्री और उसकी सहेली प्रियंका एवं उर्मिला को बहला फुसलाकर अपने वाहन में बाबा मंदिर घुमाने के बहाने बैठाकर ले गया तथा मंदिर परिसर पहुंचकर उसकी सहेली को उतार दिया तथा अभियोक्त्री के साथ अपने वाहन में बलात्संग कारित किया तथा उसे बाद में 150 रुपये दे दिया तथा यह हिदायत दी कि घटना के बारे में किसी को नहीं बताएगी। पश्चात् आरोपी ने उसे स्कर्ट खरीदकर दिया। दिनांक 30.11.2017 को आरोपी ने पुनः उसे 2000/- रूपए दिया तथा 1000/- रूपए प्रियंका को देने के लिये कहा था। अभियोक्त्री ने घटना के संबंध में अपने अभिभावकगण को शिकायत की, तत्पश्चात आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड जाकर प्र.पी. 2 की रिपोर्ट लिखायी गई। मलाजखण्ड पुलिस ने अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया तथा आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। सम्यक विवेचना उपरांत अभियोगपत्र सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय बैहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपार्पण एवं अंतरण पश्चात इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3. चार्ज की स्टेज पर अभियुक्त ने उक्त अपराध को अस्वीकार किया है। उसका यह बचाव है कि उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी आधार लिया गया कि उक्त घटना के पूर्व अभियोक्त्री अन्य किसी लड़के के साथ महाराष्ट्र चली गई थी, तब आरोपी ने अभियोक्त्री को पुलिस के माध्यम से वापस बुलवाया था, जिसकी रंजिश के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया है।

4. अवधार्य प्रश्न :-

1. क्या घटना दिनांक 17.08.2017 को 15:00 बजे अवयस्क अभियोक्त्री को उसके अभिभावकगण की सम्मति के बिना बाबा मंदिर ले जाकर व्यपहरण कारित किया ?

2. क्या दिनांक 17.08.2017 को 15:00 बजे आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध चार पहिया वाहन में बैठाकर, बाबा मंदिर ले जाकर यह जानते हुये कि उसे अयुक्त संभोग के लिये विवश किया जाएगा, व्यपहरण कारित किया ?
3. क्या उक्त अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ अपने वाहन में बैठाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार कारित किया ?
4. क्या उक्त अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री के ऊपर पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कारित कर पाक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत अपराध कारित किया ?

अवधार्य प्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5. सर्वप्रथम अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने बयान में बताया है कि घटना दिनांक 17.08.2017 को वह कक्षा 9वीं की छात्रा थी तथा अपनी जन्मतिथि 04.05.2003 बताई है। उक्त संबंध में अभिभावकगण सुरेन्द्र मराठे (अ.सा.-2), कृष्णाबाई (अ.सा.-5) ने अपनी पुत्री अभियोक्त्री की आयु 14 वर्ष बताया है।

6. सुखदेव धुर्वे निरीक्षक(अ.सा.-8) ने अभियोक्त्री के विद्यालय शासकीय प्राथमिक शाला बंजारीटोला के दाखिल खारिज पंजी की सत्यापित प्र.पी. 11 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। उक्त बिंदु पर अभियोक्त्री की विद्यालय की प्रभारी प्रधानपाठक सरला जामने (अ.सा.-7) ने व्यक्त किया है कि उनके विद्यालय के अभिलेख के अनुसार दाखिल खारिज पंजी के सरल क्रमांक 357 पर अभियोक्त्री का नाम अंकित है तथा कॉलम नंबर 8 में अभियोक्त्री की जन्मतिथि 04.05.2003 दर्शाई गई है। सरला जामने (अ.सा.-7) ने जिरह में स्पष्ट किया है कि अभियोक्त्री ने उनके विद्यालय में कक्षा तीसरी में पहली बार दाखिला लिया था तथा उक्त जन्मतिथि पूर्व विद्यालय से प्राप्त टी.सी. के आधार पर दर्ज की गई है।

7. बचाव पक्ष ने यह तर्क किया है कि अभियोजन ने संदेह से परे यह मामला प्रमाणित नहीं किया है कि अभियोक्त्री की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष के नीचे की थी। यह भी आधार लिया गया है कि अभियोक्त्री के अभिभावक ने स्कूल में उसकी जन्मतिथि अनुमान के आधार पर लेख कराई थी।

8. तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख की सूक्ष्म विवेचना की गई।

9. उक्त संदर्भ में न्यायदृष्टांत :- जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 7 एस.एस.सी. 263 के मामले में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि किशोर की आयु का निर्धारण धारा 68(1) किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम 12 के अनुसार किया जाना चाहिए। सतपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2010 (8) एस.सी.सी. 714 में दिये गये अभिमतानुसार किशोर की उम्र के निर्धारण के संबंध में स्कूल के रजिस्टर में जन्म दिनांक की प्रविष्टि पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किये जाने से धारा 35 भारतीय साक्ष्य विधान के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है।

10. "Hon'ble Apex Court in the case of Satpal Singh Vs. State of Haryana[(2010)8 SCC 714] is as Follows :-

" The entry made in the official record by an official or person authorised in performance of an official duty is admissible under Section 35 of the Evidence Act but the party may Still ask the Court/authority to examine its probative value. The authenticity of the entry would depend as to on whose instruction/ information such entry stood recorded and what was his source of information. Thus, entry in school register/ certificate requires to be proved in accordance with law. Standard of proof for the same remains as in any other civil and criminal case."

11. अभिलेख पर रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट संलग्न है जिसके अनुसार अभियोक्त्री की रेडियोलॉजिकल आयु 16 + दर्शाई है जिसमें 6

माह की मार्जिन ऑफ एरर गणना करने पर अभियोक्त्री की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष के नीचे की है जिसका मिलान दाखिल खारिज पंजी की प्रविष्टि से होता है अर्थात् उक्त बिंदु पर आयी हुई साक्ष्य का सामूहिक प्रभाव यह है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से नीचे की थी।

अवधार्य प्रश्न क्रमांक-2, 3 एवं 4 का निष्कर्ष :-

12. अब यह देखना है कि क्या अभियोजन ने आरोपी के विरुद्ध बलात्कार के संबंध में अपना मामला संदेह से परे स्थापित किया है।

13. सर्वप्रथम लैंगिक अपराध के संबंध में विक्टिम की हैसियत एवं उसकी साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधि की समीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **गुरमीत सिंह** अवलोकनीय है जिसमें निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

14. **The State Of Punjab vs Gurmit Singh & Ors on 16 January, 1996 Equivalent citations: 1996 AIR 1393, 1996 SCC (2) 384 .**

The testimony of the victim in such cases is vital and unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement, the courts should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused where her testimony inspires confidence and is found to be reliable. Seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as a rule, in such cases amounts to adding insult to injury. Why should the evidence of a girl or a woman who complains of rape or sexual molestation, be viewed with doubt, disbelief or suspicion? The Court while appreciating the evidence of a prosecutrix may look for some assurance of her statement to satisfy its judicial

conscience, since she is a witness who is interested in the outcome of the charge levelled by her, but there is no requirement of law to insist upon corroboration of her statement to base conviction of an accused. The evidence of a victim of sexual assault stands almost at par with the evidence of an injured witness and to an extent is even more reliable. Just as a witness who has sustained some injury in the occurrence, which is not found to be self inflicted, is considered to be a good witness in the sense that he is least likely to shield the real culprit, the evidence of a victim of a sexual offence is entitled to great weight, absence of corroboration notwithstanding. Corroborative evidence is not an imperative component of judicial credence in every case of rape. Corroboration as a condition for judicial reliance on the testimony of the prosecutrix is not a requirement of law but a guidance of prudence under given circumstances. It must not be overlooked that a woman or a girl subjected to sexual assault is not an accomplice to the crime but is a victim of another person's lust and it is improper and undesirable to test her evidence with a certain amount of suspicion, treating her as if she were an accomplice. Inferences have to be drawn from a given set of facts and circumstances with realistic diversity and not dead uniformity lest that type of rigidity in the shape of rule of law is introduced through a new form of testimonial tyranny making justice a casualty. Courts cannot cling to a fossil formula and insist upon corroboration even if, taken as a whole, spoken of by the

victim of sex crime strikes the judicial mind as probable. In State of Maharashtra Vs. Chandraprakash Kewalchand Jain (1990 (1) SCC 550) Ahmadi, J. (as the Lord Chief Justice then was) speaking for the Bench summarised the position in the following words:

"A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated in the Evidence Act similar to illustration .

(b) to Section 114 which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must

necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction of her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

15. अब यह देखना है कि क्या अभियोजन ने उक्त रेसियो के परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे स्थापित किया है।

16. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने बयान में आरोपी की पहचान संदेह के परे स्थापित किया है। आगे व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 17.08.2017 को 10:30 बजे अपने विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलाजखण्ड जा रही थी तब आरोपी रास्ते में वाहन फोर व्हीलर लिए मिला था जिसके साथ उसकी सहेली उर्मिला एवं प्रियंका भी थी। आरोपी ने मंदिर घूमने के बहाने उन्हें ले गया बाद में उसकी दोनों सहेलियां घूमने चली गई तब आरोपी ने उसे कार के अंदर खींचकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया एवं बाद में उन्हें कार से स्कूल लाकर छोड़ दिया।

17. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने आगे व्यक्त किया है कि तत्पश्चात् में उसकी मम्मी मिली लेकिन उसने मम्मी से कोई शिकायत नहीं की तथा घटना के 3 माह बाद छोटे भाई को बताई एवं उसके साथ मलाजखण्ड थाने में लिखित शिकायत प्र.पी. 1 प्रस्तुत किया जिसके आधार पर पुलिस ने प्र.पी. 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्संबंध में मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्र.पी. 3 का बयान अभिलिखित कराया जाना

व्यक्त किया है। यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था तथा विवेचना के दौरान उसके बताए अनुसार नक्शामौका प्र.पी.4 निर्मित किया जाना एवं पटवारी को उसने घटनास्थल दिखाया था तब पटवारी ने स्थल नक्शा प्र.पी. 5 निर्मित किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. बचाव पक्ष द्वारा तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत अभियोक्त्री रंजिशपूर्ण साक्षी की हैसियत रखती है। यह भी आधार लिया गया है कि प्रस्तुत घटना के पूर्व अभियोक्त्री अन्य बालक विवेक कुमार सैयाम के साथ महाराष्ट्र भाग गई थी तब आरोपी युवराज ने अभियोक्त्री को महाराष्ट्र से वापस लाने में मदद की थी। उक्त रंजिश के कारण अभियोक्त्री ने बाद में उसके विरुद्ध विचार-विमर्श करके आक्षेपित रिपोर्ट संस्थित कराई है। यह भी कहा गया है कि आक्षेपित घटना के संबंध में अभियोक्त्री ने तत्काल अपने अभिभावकगण अथवा अन्य किसी परिवार के सदस्य को कोई शिकायत नहीं की थी। अभियोक्त्री का उक्त आचरण उसके विरुद्ध जाता है। उक्त आधार पर अभियोक्त्री की विश्वसनीयता पर प्रबल आक्षेप किया गया है। तर्क की संपुष्टि में न्यायदृष्टांतः— दिलीप बनाम म0प्र0 2016 लीगल ईगल 949, बुद्धपाल बनाम म0प्र0 2012 (4) एम0पी0जे0आर 1, हरिमोहन बनाम म0प्र0 2016 लीगल ईगल 382 का अवलम्ब लिया है।

19. उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभियोक्त्री के बयान की सूक्ष्मता से संवीक्षा की गई। अभियोक्त्री के बयान में यह आया है कि दिनांक 17. 08.2017 को आरोपी ने उसे अपनी कार से ले जाया जाकर कार के अंदर बलात्कार किया था लेकिन साक्षी ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि उसने घटना के संबंध अपने अभिभावकगण को तत्काल कोई शिकायत नहीं की थी। अभियोक्त्री ने जिरह के पैरा 4 एवं 5 में स्पष्ट किया है कि घटना के पूर्व वह अन्य बालक विवेक कुमार सैयाम के साथ महाराष्ट्र चली गई थी। यह भी स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र से उसे और विवेक सैयाम को वापस लाने में आरोपी युवराज ने मदद कर उन्हें

पकड़वाया था। यह भी स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र से वापस आने के बाद उसने विचार-विमर्श करके आरोपी के विरुद्ध उक्त रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 को संस्थित की थी।

20. अभियोक्त्री ने अपने जिरह के पैरा 9 में यह स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र से वापस लाने में आरोपी युवराज के रोल के बारे में पता चलने पर उसे आरोपी के ऊपर गुस्सा आया था। यह भी स्पष्ट किया है कि उसने उक्त घटना के संबंध में अपने अभिभावकगण को तत्काल कोई शिकायत नहीं की थी। जिरह के अंतर्गत अभियोक्त्री की उक्त स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत अभियोक्त्री एक रंजिशपूर्ण साक्षी प्रतीत होती है जिसके एकल बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता अथवा उसके बयान को (Gospel Truth) की तरह नहीं पढ़ा जा सकता।

21. इसके विपरीत सुरेन्द्र मराठे (अ.सा.-2), कृष्णाबाई मराठे (अ.सा.-5) ने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को उनकी पुत्री अभियोक्त्री स्कूल गई थी तथा शाम को वापस नहीं आने पर उन्होंने सहेलियों से पूछताछ किया तथा पता न चलने पर उन्होंने थाना मलाजखण्ड में मिसिंग की रिपोर्ट की थी। सुरेन्द्र मराठे (अ.सा.-2), कृष्णाबाई (अ.सा.-5) ने आगे व्यक्त किया है कि बाद में अभियोक्त्री मलाजखण्ड थाने में दिनांक 07.12.2017 को मिली थी। उक्त साक्षीगण ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि अभियोक्त्री दस्तयाब होने पर उन्हें घटना के संबंध में कुछ नहीं बताया था। सुरेन्द्र मराठे (अ.सा.-2) ने मात्र अभियोक्त्री के मेडिकल परीक्षण कराए जाने हेतु सहमति पत्र प्र.पी. 6 पर अपने हस्ताक्षर किया जाना तथा नजरीनक्शा प्र.पी. 5, मौकानक्शा प्र.पी. 4 पर अपने हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। अभियोजन ने सुरेन्द्र (अ.सा.-2) को प्रतिकूल घोषित कर भारतीय साक्ष्य विधान की धारा 154 के अंतर्गत परीक्षण किया। साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी. 7 के सारवान भाग को अस्वीकार (Disown) किया है।

22. प्रतिकूल घोषित साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा हेतु **रमेश मिश्रा किमिनल अपील** में पारित मत अवलोकनीय है, जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल घोषित साक्षी के बयान का प्रयोग उभयपक्ष द्वारा किया जा सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत :-
“ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश मिश्रा ” किमिनल अपील क मांक 884 वर्ष 1996 निर्णय दिनांक 13.8.96 अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

Held that it is equally settled law that the evidence of hostile witness would not be toally rejected, if spoken in favour of the prosecution or the accused, but it can be subject to closest scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence may be accepted.

23. कृष्णाबाई मराठे (अ.सा.-5) ने लगभग समान आशय का कथन किया है। आगे व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री ने दस्तयाब होने पर उसे घटना के संबंध में सीधे कुछ नहीं बताया था अथवा घटना के संबंध अपने भाई विशाल को बताया था।

24. अभियोजन ने कृष्णाबाई (अ.सा.-5) को प्रतिकूल घोषित कर जिरह किया है। जिरह में साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री अन्य लड़के साथ महाराष्ट्र भाग जाने के संबंध में आरोपी युवराज ने उसे महाराष्ट्र से पकड़वाया था। यह भी स्वीकार किया है कि उक्त कारण से अभियोक्त्री आरोपी से गुस्सा थी। पैरा 5 में स्वीकार किया है कि उक्त कारण से अभियोक्त्री ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट संस्थित की थी।

25. उर्मिला यादव (अ.सा.-3) के बयान में मात्र यह आया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने स्कूल जाते समय वाहन (बाईक) से लिफ्ट दिया था तथा लिफ्ट देकर चला गया। साक्षी ने आगे घटना की जानकारी होने से इंकार किया है। अभियोजन ने साक्षी उर्मिला को प्रतिकूल घोषित कर जिरह किया है। साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी. 8 के सारवान भाग को अस्वीकार (Disown) किया है।

26. विशाल मराठे (अ.सा.-6) बाल साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री उसकी चचेरी बहन है तथा दिनांक 01.11.2017 को वह स्कूल गया था, 12 बजे छुट्टी हो जाती है। यह भी व्यक्त किया है कि 29 या 30 तारीख को आरोपी ने उसकी बहन को 2,000/-रुपए दिये थे तथा उन्हें (अभियोक्त्री), उर्मिला एवं प्रियंका को बालाघाट कार से घुमाने लेकर आया था। आगे व्यक्त किया है कि आरोपी अभियोक्त्री को स्कूल ले जाता था और लाकर छोड़ देता था।

27. बचाव पक्ष ने तर्क किया है कि यह साक्षी एक कोमल वयस बाल साक्षी है तथा उसकी साक्ष्य ट्यूटर्ड है। अतः उसकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

28. सर्वप्रथम बाल साक्षी के संबंध में विधिक स्थिति की समीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध **पंछी बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश** के मामले में वर्णित मार्गदर्शित सिद्धांत अवलोकनीय है।

The deposition of child witness can not be effaced from record if found reliable and untutored after deep scrutiny. I have followed ratio of **Panchhi v/s State of U.P., 17 February, 1998.**

The latest judgment of the Hon'ble Supreme Court in **Paras Ram v/ State of Himachal Pradesh (2000) 1 JT (Suppl) 236 (SC)**, may be referred to, where a minor girl was not administered oath and it was held that there is no legal bar in relying upon her testimony without oath.

A perusal of the decision of the Supreme Court clearly shows that a child is incapable of being administered oath or affirmation as he is only a minor. Yet in the light of Section 118 of the Evidence Act, child witnesses are not debarred from giving evidence. At the same time, the court have put certain restrictions in accepting the evidence of child witness especially on the question of corroboration and he may be biased being under the control of the

interested persons and the Court must avoid any traces of tutoring or likelihood of tutoring.

29. विशाल मराठे (अ.सा.-6) की साक्ष्य की समीक्षा किए जाने पर बयान में यह आया है कि 29 या 30 तारीख को अभियोक्त्री एवं सहेलियों को कार से बालाघाट ले जाया गया था तथा आरोपी ने अभियोक्त्री को स्कूल लाकर छोड़ा था तथा वापस लाकर छोड़ दिया था। विशाल ने जिरह में स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री अन्य बालक विवेक सैयाम के साथ महाराष्ट्र भाग गई थी। यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी ने उसकी बहन को महाराष्ट्र से वापस लाने में पकड़वाया था तब पुलिस ने उसकी बहन और विवेक को वापस लेकर आयी थी। यह स्पष्ट किया है कि आरोपी युवराज द्वारा पकड़वाने के कारण उसकी बहन आरोपी से चिढ़ती थी एवं उक्त कारण से आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट किया जाना स्वीकार किया है।

30. अर्थात् विशाल मराठे (अ.सा.6) के बयान में यह नहीं आया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया अथवा तत्संबंध में अभियोक्त्री द्वारा साक्षी से शिकायत किए जाने के संबंध में भी कोई अभिकथन मौजूद नहीं है। चूंकि विशाल की प्रास्थिति एक बाल साक्षी की है जिसे सिखाए, पढ़ाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

31. डॉ. कीर्तिबाला बांगरे (अ.सा.-4) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 16.12.17 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ रहते हुए पुलिस द्वारा लाये जाने पर अभियोक्त्री का परीक्षण किया था। अभियोक्त्री के बाहरी एवं आंतरिक भाग पर कोई चोट के निशान नहीं पाए थे। अभियोक्त्री के द्वितीयक जननांग पूर्णतः विकसित थे। वैजाईना में दो उंगलियां आसानी से प्रवेश कर रही थी हाईमन रैचर था तथा बलात्कार के संबंध में निश्चित अभिमत नहीं दिया था। वैजाईनल स्लाइड, प्यूबिक सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंप दिया था, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 9ए जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

32. डॉ. अनंत लिल्हारे (अ.सा.-10) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 14.12.2017 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए आरोपी युवराज को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसका परीक्षण करने पर उसके शरीर के बाहरी एवं आंतरिक भाग पर कोई चोट के निशान नहीं पाए थे, आरोपी को संभोग करने में सक्षम पाया था, दो सीमेन स्लाईड, प्यूबिक हेयर प्रिजर्व कर सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंप दिया था तथा परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 16-ए जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त दोनों चिकित्सक साक्षीगण के बयान के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

33. सुरेखा मरकाम (अ.सा.-9) महिला प्रधान आरक्षक ने व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 13.12.2017 को लिखित शिकायत मलाजखण्ड थाने में प्रस्तुत करने पर दिनांक 14.12.2017 को धारा 376 (2) (आई) (1) भा.द.वि. तथा धारा 4 पॉक्सो अधिनियम 2012 आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाना प्रमाणित किया है तथा अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया जाना, स्लाईड प्राप्त किया जाना प्रमाणित किया है तथा अभियोक्त्री का कथन लिपिबद्ध किया जाना बतलाया है। आरोप व्यक्त किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री के विद्यालय से शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्र.पी. 12, दाखिल खारिज पंजी की सत्यापित प्रति प्र.पी.13, प्र.पी. 23 के माध्यम से जप्त किया था।

34. सुरेखा मरकाम (अ.सा.-9) ने जिरह में स्वीकार किया है कि प्रस्तुत घटना के पूर्व अभियोक्त्री अन्य लड़के के साथ भाग गई थी। यह भी स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री को दिनांक 10.12.2017 को दस्तयाब किया गया था। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी के विरुद्ध दिनांक 13.12.2017 को शिकायत थाने में प्रस्तुत की गई थी। यह भी स्पष्ट किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 के कॉलम 8 में रिपोर्ट विलंब से लिखाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं लिखा गया है। यह भी स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री अन्य लड़के (विवेक कुमार सैयाम) के

साथ फरार होने के पश्चात् बरामदगी पश्चात् 3 दिन बाद यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

35. विवेचक सुखदेव धुर्वे (अ.सा.-8) ने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 14.12.2017 को आरोपी युवराज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी. 14 निर्मित किया था, आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया था एवं आरोपी से आक्षेपित वाहन क्रमांक एम.एच. 02 बी.एम. 8535 जप्त किया जाना, घटनास्थल का मौकानक्शा निर्मित किया जाना व्यक्त किया है। बयान के पैरा 8 में व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री तथा आरोपी की स्लाईड एवं प्यूबिक हेयर पुलिस अधीक्षक बालाघाट के ड्राफ्ट के माध्यम से क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जबलपुर प्रेषित किया जाना तथा रिपोर्ट प्राप्त किया जाना व्यक्त किया है।

36. सुखदेव धुर्वे (अ.सा.-8) ने जिरह में स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री अन्य लड़के के साथ महाराष्ट्र से दस्तयाब की गई थी। यह भी स्वीकार किया है कि जब तक अभियोक्त्री को महाराष्ट्र से नहीं पकड़ा गया था तब तक उसने आरोपी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की थी। यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने आक्षेपित कार की कोई फॉरेंसिक जाँच नहीं करवाई थी अर्थात् सुखदेव धुर्वे (अ.सा.-8) के बयान में आंतरिक कमियां मौजूद हैं जो अभियोजन के मामले की जड़ तक जाती दिखाई देती हैं।

37. यद्यपि क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जबलपुर की रिपोर्ट प्र.पी. 19-ए में यह आया है कि अभियोक्त्री की वैजाइनल स्लाईड में मानव शुक्राणु पाए गए लेकिन उक्त आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है। चूंकि अभिलेख पर जिरह में यह आया है कि अभियोक्त्री अन्य बालक विवेक सैयाम के साथ दिनांक 10.12.2017 को महाराष्ट्र से दस्तयाब की गई थी।

38. अभिलेख के सूक्ष्म परीक्षण से यह पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत विवेचना अधिकारी सुखदेव धुर्वे द्वारा आक्षेपित स्परमेटोजोवा की डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग डी.एन.ए. विशेषज्ञ से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त तथ्य अभियोजन के विरुद्ध जाता है।

39. यह भी उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 (क) एवं 167 (क) में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा दिनांक 23.06.2006 को संशोधन द्वारा स्थापित किए गए हैं। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत:- संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य (2010) 9 एस.सी.सी. 747 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि बलात्कार के मामले में डी.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदन महत्वपूर्ण होता है, उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका प्रतिवेदन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। उसके आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

40. अतः अभिलेख पर डी.एन.ए. रिपोर्ट के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि आक्षेपित स्परमेटोजोवा आरोपी की (Origin) से संबंधित है।

41. उक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 (2) (आई) भा.द.वि. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है। फलस्वरूप आरोपी युवराज तुरकर पिता भिवराम तुरकर को धारा 363, 366, 376 (2) (आई) भा.द.वि. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

42. मामले में जप्त संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

दिनांक :- 17 मई 2018

मेरे बोलने पर मुद्रित।

सही / —

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर